दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
मोबाईल नं. 9424650532

गेहूँ विक्रय करने हेतु

निविदा प्रपत्र (द्वितीय आमंत्रण)

वर्ष 2018

प्रपत्र क.–1

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
मोबाईल नं. 9424650532

गेहूँ के विक्रय हेतु निविदा **(द्वितीय आमंत्रण)**

मेसर्स / श्री ....से निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 1000 /– (रूपये एक हजार मात्र) मनीरसीद क्रमांक............. .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये ।

निविदा प्रपत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा – दिनांक 14.09.18 को अपरान्ह 1.00 बजे तक.

सीलबंद निविदा प्रपत्र निगम मुख्यालय में जमा करने की समय सीमा – दिनांक 14.092018 को अपरान्ह 3.00बजे तक.

प्राप्त निविदा खोलने की समय सीमा – दिनांक 14.09.18 को अपरान्ह 3.30 बजे

उपमहाप्रबंधक (बाबई)

M P AGRO
दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 0755 – 2776575/2551652/ मोबाईल नं. 9424650532
वेबसाईट WWW.mpagro.0rg

क्रं0/मुख्या/बाबई–44/18/3678 **दिनांक 25.08.2018**

गेहूँ विक्रय हेतु निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में वर्ष 2017–18 में उत्पादित गेहूँ किस्म जी.डब्ल्यु –322 अनुमानित मात्रा 3334 क्विंटल गेहूँ ''जहां है जैसा है'' के आधार पर विक्रय हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14.09.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक है । विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट WWW.mpagro.0rg पर उपलब्ध है । निविदा सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए उपर्युक्त वेबसाईट पर ही दी जायेगी ।

उप महाप्रबन्धक (बाबई)

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
मोबाईल नं. 9424650532

गेहूँ के विक्रय हेतु आमंत्रित दर प्रस्ताव की शर्ते (द्वितीय आमंत्रण)

1. गेहूँ को इस दर प्रस्ताव में ''खाद्यान्न'' लिखा गया है ।
2. विक्रय की जाने वाली ''खाद्यान्न'' के नमूनों तथा निर्धारित शर्ते निगम के कृषि प्रक्षेत्र बाबई (मंगलवार अवकाश को छोड़कर) अथवा मुख्यालय भोपाल में 14.09.2018 को प्रातः 11.30 बजे तक देखे जा सकते हैं ।
3. इच्छुक केता अपना दर प्रस्ताव दिनांक 14.09.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक निगम के पंचानन भवन स्थित मुख्यालय में उपलब्ध टेन्डर बाक्स में मय संकल्प धनराशि के '' बैंक ड्राफ्ट'' के साथ जमा कर सकेंगे । दर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र जारी करने, प्राप्त करने की समय सीमा पृष्ठ कमांक 02 में उल्लेखानुसार रहेगी । दर प्रस्ताव दिनांक 15.10.2018 तक स्वीकृत करने हेतु निगम अधिकृत रहेगा।
4. इच्छुक केता लिफाफा क.–01 में निविदा प्रपत्रों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर व आवश्यक संकल्प धनराशि का निगम के पक्ष में भोपाल में देय बैक ड्राफ्ट संलग्न कर सीलबंद करेगें व अपना वित्तीय प्रस्ताव पृ. क. 07 पर दिये संलग्न प्रपत्र–2 में पूर्ण भरकर लिफाफा क.02 में सील बंद कर रखेंगें । दोनों लिफाफे एक मुख्य लिफाफे में बंद कर निर्धारित समय–सीमा में जमा करायेंगे । लिफाफा क.–2 में रखे जाने वाले वित्तीय प्रस्ताव में दरों का उल्लेख अंकों/शब्दों दोनों में होगा एवं यदि अंकों तथा शब्दों में लिखी दरों में अंतर पाये जाने पर अंकों में लिखित दर मान्य की जायेगी ।
5. विक्रय की जाने वाली ''खाद्यान्न'' पर लगने वाले सभी प्रकार के टेक्स, एवं कृषि उपज मंडी बाबई के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने, चुंगी इत्यादि के लिए इच्छुक केता उत्तरदायी रहेगें । निगम को दी गई दर में उपरोक्त सभी राशियां सम्मिलित नहीं मानी जाएगी ।
6. बिना संकल्प धनराशि के प्राप्त किसी भी दर प्रस्ताव को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा। **संकल्प धनराशि बैक ड्राफ्ट के रूप में जो ''एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि'' के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न की जाना अनिवार्य है ।**
7. किसी भी दर प्रस्ताव को पूर्णतः/आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा ।

..4..

8. समस्त खाद्यान्न निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध है। क्रेता को खाद्यान्न का पूर्ण स्कन्ध प्रक्षेत्र से अपने स्वयं के व्यय पर स्वयं उठाना होगा।

9. विक्रय किये जाने वाले खाद्यान्न ''जहां है जैसी है'' के आधार पर प्रदाय किया जायेगा ।

10. लिफाफा क 1 एवं लिफाफा क्र. 2 पर निविदाकार स्वयं का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखे तथा इन दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफें में रखा जाये तथा सीलबंद किया जाये । **बड़े लिफाफे पर 'गेहूॅं हेतु निविदा''** लिखा जाए सर्वप्रथम लिफाफा क्रमांक 1 खोला जायेगा जिसमें प्रपत्र क्रमांक 1 के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं संकल्प धन राशि की जांच की जायेगी । दोनों कार्यवाहियां पूर्ण होने पर ही लिफाफा क्रमांक 2 खोला जायेगा । दर लिफाफा क्रमांक 2 में प्रस्तुत की जाए ।

11. दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि आफरकर्ता द्वारा विक्रय की जाने वाली ''खाद्यान्न'' के नमूनों को देख लिया है तथा निगम द्वारा निर्धारित शर्तो से सहमत होकर दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

12. सामान्यतः प्राप्त दरों के संबंध में निगोसियेशन नहीं किया जायेगा । यदि आवश्यक हुआ तो निविदा में प्राप्त अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से निगोसियेशन किया जायेगा एवं यदि उच्चतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा निगम की प्रति प्रस्तावित दरों पर अपनी सहमति नहीं दी जाती है,तो द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम दर देने वाले निविदाकार को अवसर प्रदान किया जावेगा।

13. दर प्रस्ताव स्वीकृति की जानकारी/प्रति प्रस्तावित दर (यदि निगम द्वारा आवश्यक समझा जायेगा) आफरकर्ता को लिखित में दी जाएगी । निविदा स्वीकृति की दिनांक से 07 दिवस के अंदर, संबंधित आफरकर्ता द्वारा दी गई दर के आधार पर कुल खाद्यान्न की देय राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफट जो **एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो. लि. के नाम से बाबई** में देय होगा अथवा निगम के खाता क्र. 6937001800000017, पंजाब नेशनल बैंक ,प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई से लिखित अनुमति प्राप्त कर नगद जमा कराना होगा । राशि प्राप्त होने के पश्चात ही प्रक्षत्रे प्रभारी ,आदेशित खाद्यान्न को उठाने की अनुमति देगें।

14. निविदा में जो मात्रा उल्लेखित की गई है, वह अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन .संभव है तथा निविदाकार को निगम के निर्देशानुसार पूर्ण स्कन्ध क्रय करना बंधनकारी होगा ।

15. उपलब्ध ''खाद्यान्न'' के अंतिम लाट को प्राप्त करते समय आफरकर्ता द्वारा जमा की गई 10 प्रतिशत राशि एवं संकल्प धनराशि को खाद्यान्न के मूल्य से समायोजित किया जा सकेगा ।

16. यदि आफरकर्ता द्वारा निगम की लिखित सूचना पत्र के दिनांक से 07 दिवस के .अंदर खाद्यान्न मूल्य के 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे आफरकर्ता द्वारा जमा संकल्प धनराशि को निगम द्वारा जप्त कर, उनके द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकेगा।

17. आफरकर्ता जिनका दर प्रस्ताव मान्य कर लिया गया है तथा जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत राशि जमा कर दी है, उन्हे उस दिनांक से 21 दिवस में सम्पूर्ण खाद्यान्न आवश्यक रूप से उठाना होगा । यदि इस दिनांक तक अनुमोदित आफरकर्ता द्वारा सम्पूर्ण आदेशित खाद्यान्न नहीं उठाया जाता है तो ऐसी दशा में निगम को अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर प्रक्रिया का निर्धारण कर शेष खाद्यान्न को विक्रय कर दें । यदि इस प्रकिया में निगम को किसी भी प्रकार की हानि होती है ,तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं निगम को हानि की वसूली निविदाकार द्वारा जमा की गई 10 प्रतिशत राशि में से भी की जा सकेगी ,जिस पर निविदाकार को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा ।

18. विक्रय हेतु निर्धारित शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। दर स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात राशि को जमा करने की अवधि में यदि कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निगम के प्रबंध संचालक संतुष्ट होते हैं,तो वह समय सीमा में परिवर्तन कर सकेगें , परन्तु ऐसा करना उनके लिये बंधनकारी नहीं होगा । निगम के प्रबंध संचालक द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णय के कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा ।

19. बारदाना बदलना, परिवहन, ट्रक पर चढाई इत्यादि के समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किये जाऐगे । विक्रय की जाने वाली सामग्री की तुलाई निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अनुमोदित आफरकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष करवाई जाएगी । तुलाई का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । निगम द्वारा कोई बारदाना प्रदाय नहीं किया जाएगा ।

20. जिस फर्म/व्यक्ति द्वारा दिया गया दर प्रस्ताव मान्य किया गया है, उसी के नाम से निगम द्वारा देयक जारी किये जाएगे ।

21. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (प्रशासन) को प्रस्तुत किया जाएगा। महाप्रबंधक (प्रशासन) के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय देगें । आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये निर्धारित न्यायालय होगा ।

उप महाप्रबंधक (बाबई)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
मोबाईल नं. 9424650532

गेहूॅ हेतु संकल्प धनराशि का विवरण (द्वितीय आमंत्रण)

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र ,बाबई जिला, होशंगाबाद में गेहूॅ के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में संकल्प धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं	खाद्यान्न का नाम	किस्म	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित संकल्प धनराशि	बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट क्र./दि.	राशि
1	गेहॅ	जी डब्ल्यु322	3334.20	5,00,000/–			

नोटः–

उपरोक्त विवरण के अनुसार बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करें । चैक किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1.नाम..

2. पता...
....

3.दूरभाष क्रमांक..................................

..7..

प्रपत्र क्रमांक 2

(लिफाफा क्र0 2 में रखा जाना है)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कापो लिमि.
पंचानन भवन ,तृतीय तल,मालवीय नगर
भोपाल.

विषयः—गेहूॅ हेतु निविदा दर प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भः—निगम द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्र 3678 दिनांक 25.08.2018

समाचार पत्र में प्रकाशित खाद्यान्न के विक्रय हेतु आमंत्रित संदर्भित निविदा सूचना के अनुसार तथा निर्धारित समस्त शर्तो को मान्य करते हुये निम्नानुसार दरें प्रस्तुत कर रहा हूॅ :—

क्र	खाद्यान्न का नाम	किस्म	उत्पादन वर्ष	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	दर प्रति क्विंटल	
					अंकों में	शब्दों में
1	गेहूॅ	जी डब्ल्यु 322	2017—18	3334.20		

संकल्प धनराशि का बैक ड्राफट क्रमांक...दि......................राशि रू.............

....जो एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. के नाम से भोपाल पर देय है, संलग्न किया जा रहा है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1.नाम..

2. पता...

3. दूरभाष क्रमांक..................................

4. मण्डी लाईसेंस..................................

5. पेन नं.....................................

6. टिन नं.....................................

7. बैक का नाम एवं पता..........

....

8. बैंक खाता क्र...........................

(लिफाफा क्रमांक 2 में रखा जाये)